

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 52] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 30, 1979/माघ 10, 1900

No. 52] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 30, 1979/MAGHA 10, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1979

क्र. आ. 59(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
(1934 का 2) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार
के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के आदेश सं. क्र. आ. 535 (असा.), तारीख
24 सितम्बर, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

उक्त आदेश से उपाबद्ध अनुसूची में, स्तम्भ 4 की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्न-
लिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“विनिमय-द्वर वह वर होंगी, जो ऐसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय करेंसी इकाइयों के
जो रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए इस प्रयोजन

के लिए समुचित और आवश्यक समझे, अनुसार रूपए के मूल्य के प्रति निर्देश से और उक्त करंसी इकाइयों के लिए ऐसे भारों के प्रतिनिर्देश से, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, परिचालित की जाए। पाउंड स्टर्लिंग के लिए क्रय करने और विक्रय करने की दर इस प्रकार अवधारित की जाएंगी कि रूपए का मूल्य, इस प्रकार निकाला गए मूल्य के किसी भी और 5 प्रतिशत से अधिक के मार्जिन के भीतर होगा :

परन्तु इस प्रकार अवधारित क्रय करने की और विक्रय करने की दर प्रति 100 रु., पाउंड स्टर्लिंग के अनुसार अभिव्यक्त की जाएंगी।'

[सं. 1/22/79-बी. पी.]

मनमोहन सिंह, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

ORDER

New Delhi, the 30th January, 1979

S.O. 59(E).—In exercise of the powers conferred by section 40 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), No. S.O. 535 (E), dated the 24th September, 1975, namely :—

In the Schedule annexed to the said Order, for the entry in column 4, the following entry shall be substituted, namely :—

"The rate of exchange shall be the rate calculated with reference to the value of the rupee in terms of such major international currency units as the Reserve Bank may, subject to the approval of the Central Government, consider to be appropriate or necessary for this purpose, and with reference to such weights for the said currency units as may be specified by the Central Government in this behalf. The buying and selling rates for the pound sterling shall be so determined that the value of the rupee shall be within a margin not exceeding 5 per cent. On either side of the value thus arrived at:

Provided that the buying and selling rates as so determined shall be expressed in terms of pound sterling per Rs. 100".

[No. F. 1/22/79-B. P.]

MANMOHAN SINGH, Secy.